

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2023/213

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 103/2023 (विकास महला बनाम राज0 सरकार)

निर्णय दिनांक :- 23.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.10.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम हंसासरी के ख0न0 169, 170, 171, 172, 173, 30, कुल किता 6 कुल रकबा 6.75 है भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक गजट नोटिफिकेशन नन्दलाल पुत्र धर्मचन्द के स्थान पर विकास महला पुत्र धर्मचन्द दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 23.10.2024 को जारी की गई।



५१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर